











# सम्पादकीय

**बारिश के कारण सड़कों को  
भी बहुत नुकसान पहुंचा**

भारत में जून जुलाई और अगस्त बारिश के महीने होते हैं और पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं कहीं तो बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सच तो यह है कि बारिश देश में इन दिनों आपके बनकर बरस रही है। हाल ही में ऐसी विभाग द्वारा 13 अगस्त को ही केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़चेरी, कराईकल और उत्तराखण्ड में भारी बारिश का अरेंज अलटानारी किया गया। वहाँ दिल्ली में 16 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश

नीं चेतावनी जारी की गई है। लगातार बारिश के कारण देश में निचले लाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, वहीं बारिश के कारण सड़कों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक सड़क मार्गों पर इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक बारिश कहर बरपा रही है औंजाब, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य देश के कुछ हिस्सों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, पूर्वोत्तर भारत, केरल, तमिलनाडु, और दक्षिण कर्नाटक में इन दिनों बारिश की दौरा जारी है। रह-रहकर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और तेज बारिश गो रही है। नदियां और नाले इन दिनों उफान पर बह रहे हैं। सच तो वह है कि बारिश हमारे देश के नगर नियोजन की पोल खोलती नजर आ भाती है। आज देश में अनेक सड़कों पर तीन से चार फीट तक पानी नमा नजर आ रहा है। मेट्रो सीटीज से लेकर छोटे शहरों, गांव गलियों, गौराहों तक का बुरा हाल है।

हिमाचल में यह हाल है कि अचानक भारा बारिश के कारण पाच एस्ट्रीय सड़क मार्ग बंद हो गए और हिमाचल में 288 विभिन्न सड़कें बंद हो गईं। उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य में बारिश के दौरान अनेक सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे आमजन को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केरल के बायानाड में जान-माल को हाल ही में काफी नुकसान पहुंचा। केरल ही नहीं अब तो लगभग लगभग पूर्ण उत्तर भारत बारिश की चपेट में है। मीडिया के हवाले से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बाढ़ आ गई है। वाराणसी में 65 घाट ढूब गए हैं। जगह-नगह एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश तालाब फूट गया, 20 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश के लखनऊ रैमा में तालाब फूटने से 4 गांवों में पानी घुस आया है। इधर, उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना उफान पर हैं। 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खबरें आ रही हैं कि लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 250 गांवों में पानी भर गया है और करीब 2.50 लाख लोग भावित हैं।

हिमाचल प्रदेश के चंबा में सोमवार ( 12 अगस्त ) को पहाड़ी से पत्थर लगाने से 2 लोगों की मौत हो गई। इन्हाँ ही नहीं, यह भी खबरें आई हैं कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड-बाढ़ के कारण शिमला-किन्नौर पहित 2 नेशनल हाईवे और 195 सड़कें बद हैं। उना में 11 अगस्त को 3 लड़कियां बाढ़ में बह गईं।

8

# मालदाव यात्रा के दरान राष्ट्रपति माहमद मुइँझू का जैसा दोस्ताना रखेया देखने को मिला

## लालत गग- बीह की क

न का कठुतला बन नालदीप का  
खिर भारत की कीमत समझ में आ गयी  
वेन एवं पाकिस्तान की कुचलों एवं षडयंत्रों  
भारत के पडोसी देशों की हालत जर्जर  
ती जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण  
गंगादेश है। लेकिन एक पडोसी देश के  
प में पिछले करीब एक साल की अवधि  
मालदीव ने भी गहरे हिचकेले खाने एवं  
ई कड़वे अनुभवों से गुजरने के बाद अब  
टी पर आ गया है। विदेश मंत्री एस  
यशकर की पिछले सप्ताह हुई मालदीव  
त्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपिता मोहम्मद  
इज्जू का जैसा दोस्ताना रवैया देखने को  
लाला, जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ  
गए बढ़ने की मंशा जाहिर की, यह उन्हे  
पनी गलती का अहसास कराने का ही  
तक कहा जा सकता है। देर अये दुरस्त  
गये वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए  
भारत-मालदीव के रिश्तों को भावनात्मक  
जनीति के तकाजों पर कूटनीति को ठास  
कीकरतों की जीत के रूप में देखा जा  
कता है।

धानमत्रा नरन्द्र मादा न अपन पूव वार्यकाल में पडोसी देशों की यात्रा करते हुए नसे भारत के संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं एकासमूलक बनाने के प्रयास किये। इसी के हत मोदी की तत्कालीन मालदीव दौरे का खुय उद्देश्य नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत रक्षा, विकास की दृष्टि के भारत के संबंधों पर और मजबूत करना था। दौरे के दैराम लोगों के एसे पोस्ट के बाद सोशल मीडिया मालदीव ट्रैंड होने लगा लोगों के एसे पोस्ट के बाद सोशल मीडिया और लक्ष्मीप को बेहत के भारत विरोध उन्नत तर्ख टिप्पणियों एवं र अर्थ-व्यवस्था गिरने त उद्योग को भारी नुकस पड़ा। मालदीव की न देखते हुए भारत ने पॉलिसी अखियार व हुआ कि भारत से छु जाने वाले टूरिस्टों की इस साल के शुरूआत अवधि में वहां भारतीय 42 प्रतिशत घट गयी की जीडीपी में टूरिस्ट प्रतिशत है। इतना ही न से चलने वाले इनका एजुकेशन और कृषि प्रॉजेक्ट्स का भविष्य दिखाई देने लगा। मु अनदेखी नहीं कर स देश का सहयोग भी इ सकता था। ऐसे में मुझ



- राजेंद्र शम

वक्फ कानून में संशोधन की इस करसरत की आलोचना करने वाले इसका दावा कर रहे हों कि 1995 का वक्फ कानून अपने आप में कोई आदर्श कानून था और उसमें किसी संशोधन या सुधार की कोई गुंजाइश या आवश्यकता ही नहीं थी। यह तो ख़ेर किसी का भी कहना नहीं था कि वक्फ संबंधी सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी, जिसमें कोई कमज़ोरियां या ख़ामियां थी ही नहीं।

आखिरकार, 1995 के वक्फ कानून में

संशोधना के विधेयक का, फलहाल एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक के लिए ऐसे सल्क को, निश्चित रूप से अपवाद ही कहा जाएगा। संसद के पिछले सत्र तक बिना किसी समुचित चर्चा के बल्कि बिना चर्चा के ही, विधेयकों पर संसद से मोहर लगावाने के अपने उतावलेपन के लिए कुख्यात मोदी सरकार का, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही वक्फ विधेयक पर 'विस्तृत और बहुपक्षीय' चर्चा की जरूरत स्वीकार कर लेना और विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए राजी होना, बेशक हाल के आम चुनाव से निकल कर आई सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करता है। इससे तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता है कि अब संसद में राजनीतिक ताकतों का संतुलन काफी बदला हुआ है। इस बदले हुए संतुलन का ही संकेतक है कि एक ओर सत्ताधारी भाजपा और दूसरी ओर झंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष की ताकत, लगभग बराबर है और इन हालात में मुख्यः तेलूगू देशमद तथा जनता दल-यूनाइटेड के साथ गठबंधन के बल पर ही, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच पाए हैं। जाहिर है कि सत्ता में होते हुए भी भाजपा इन हालात में, खासतौर पर मोदी के राज के पिछले कार्यकाल की तरह, बहुमत की मनमानी चलाने की उम्मीद नहीं कर सकती है। हालांकि, उसके पास सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत है, फिर भी विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत के सामने, यह बहुमत भी मनमानी चलाने के लिए काफी नहीं है। फिर वक्फ विधेयक के खास मामले में, यह

सिर्फ बहुमत के लिए जरूरी संख्या का मामला नहीं रह सकता था। तेलुगू देशांक और जनता दल-यूनाइटेड ने बेशक, इविधेयक पर भी काई भाजपा से खुद का अलग नहीं कर लिया था। सहयोगी पार्टियां का सत्ता पक्ष के लिए ऐसा कोई धर्मसंकरण नहीं पैदा करना तो दूर रहा, लोकसभा में जदवपुर के प्रवक्ता ने औपचारिक रूप से इसके विधेयक की पैरवी भी की थी। इसके बावजूद, यह कहना सही नहीं होगा कि उसके सहयोगी पार्टियां इस विधेयक का कोई बढ़ाव चढ़ाकर समर्थन कर रही थीं। उल्लंघन

प्रस्तावत विधेयक का विपक्ष का प्रबल आलोचनाओं से ये पार्टीया साफ तौर पर असहज नजर आ रही थीं और विधेयक की उनके समर्थन के सारे तर्क, बचाव वे तर्क थे। वर्ना उनकी दलीलों के पीछे हुए बेचैनी आसानी से पढ़ी जा सकती थी। और ऐसा होना, इस संशोधन विधेयक वे लाए जाने की पूरी कसरत के अर्थ और मंतव्यों के चलते होना स्वाभाविक ही था। जिनको विपक्ष द्वारा बलपूर्वक रेखांकित किया जा रहा था। पहला सवाल तो यही था कि वक्फ कानून में इस तरह के संशोधन की आवश्यकता ही क्या थी? संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश करते हुए संसदीय कार्यमंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू तथा सत्त पक्ष के अन्य वक्ताओं द्वारा भी इसके तमाम दावे किए जाने के बावजूद कि परामर्श वाले एक विस्तृत प्रक्रिया से ऊजर कर उत्तर संशोधन प्रस्ताव तैयार किए गए थे, यह सन्दर्भ किसी से हुआ हुआ नहीं था कि उत्तर विधेयक किसी भी तरह की पॉपुलर डिमांड पर नहीं लाया गया था। उल्टे मुस्लिम समुदाय, जिसके धार्मिक आचार के हिस्से के तौर पर दान-पुण्य के कार्य के तौर पर चल-अचल संपत्तियां वक्फ करने की रिवायत आती है और इन संपत्तियों का समुचित व्यवस्था के लिए ही वक्फ कानून बनाया गया है, और मुस्लिम धार्मिक राय वे बड़े हिस्से द्वारा इस पूरी कसरत को गहरा संदेह की नजर से ही देखा जा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि वक्फ कानून में संशोधन की इस कसरत की आलोचना करने वाले इसका दावा कर रहे हों कि 1995 के वक्फ कानून अपने आप में कोई आदर्श

कानून था आर उसम इक्सा सशाधन या सुधार की कोई गुंजाइश या आवश्यकता ही नहीं थी। वह तो खैर किसी का भी कहना नहीं था कि वक्फ संबंधी सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी, जिसमें कोई कमजोरियां या खामियां थी ही नहीं। लेकिन, सबसे पहली बात तो यह कि इस पूरी कसरत के पीछे सत्ताधारी भाजपा की नीयत ही संदेह के घेरे में थी। बेशक, सत्ता पक्ष की ओर से गरीब-मुसलमानों की भलाई की चिंता का जमकर दिखावा किया जा रहा था। वर्तमान व्यवस्था में मुस्लिम महिलाओं के निर्णय प्रक्रियाओं से बाहर ही छूटे रहने पर काफी अंसू बहाए जा रहे थे। वक्फ बोर्डों तथा वक्फ से जुड़ी अन्य संस्थाओं के बेशुमर मामलों-मुकदमों में फंसे होने पर बड़ा अफसोस जाताया जा रहा था। और वक्फ की संपत्तियों, विशेष रूप से जमीनों का, मुसलमानों की भलाई के लिए ठीक से उपयोग न हो पाने का, खूब रोना रोया जा रहा था। लेकिन, एक ओर जिस तरह के पैट्रोनाइजिंग सुर में और दूसरी ओर, मुस्लिम समुदाय की संस्थाओं व समुदाय के नेताओं के प्रति हिकारत के सुर में, ये सारी दलीलें दी जा रही थीं, उनसे कोई समझ सकता था कि इस कसरत के पीछे कम से कम मुसलमानों का भला करने की इच्छा नहीं थी।

उल्टे जिस तरह से प्रस्तावित संशोधनों के जरिए, सुधार के नाम पर वास्तव में वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र सरकार के नियमनकारी नियंत्रण को उल्लेखनीय तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही था, वह किसी से भी छुपा नहीं रहा। वक्फ की सपातया के रकाड़ा का चुस्त-दुरुस्त बन के नाम पर, न सिर्फ वक्फ संपत्तियों के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है बल्कि इन संपत्तियों के संबंध में तमाम जानकारियां नया कानून बनने छः महीने के अंदर-अंदर अपलोड विज्ञापनों द्वारा जाने तथा तमाम नयी वक्फ संपत्तियों की जानकारी द्वारा उपलब्ध होने वाली रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल के जरिए ही वक्फ बोर्डों के सामने पेश किए जाने के तकनीकी रूप से उन्नत किए जाने के नजर आने वाले किंतु वास्तव में सब कुछ ज्यादा केंद्रीयवृत्ति करने वाले प्रावधान किए गए हैं। लेकिन, इससे भी ज्यादा समस्यापूर्ण तरीके से पुराना कानून की उस धारा-40 को हटा दिया गया है, जिसके तहत वक्फ ट्रिब्यूनलों को वक्फ के लिए नियंत्रण करने का अधिकार होता था कि वक्फ कोई संपत्ति वक्फ होने लायक है। ट्रिब्यूनलों की जगह पर, अब जिला कलेक्टर को ऐसा मामलों में अंतिम निर्णयकर्ता बना दिया गया है। और जब तक कलेक्टर द्वारा संबंधित संपत्ति के वक्फ लायक होने की अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं दे दी जाती है, तब वक्फ संपत्ति को वक्फ संपत्ति की तरह नहीं बरता जा सकता। इसका अर्थ यह है कि जब तक कि सरकार मामले का फैसला नहीं कर देती है, वक्फ बोर्ड ऐसी किसी संपत्ति का नियंत्रण नहीं ले सकता है। इसका साथ ही, संशोधन प्रस्तावों के जरिए वे सरकार को 'किसी भी वक्फ का, कभी न कभी ऑडिट किए जाने का निर्देश देने' का अधिकार दे दिया गया है। वक्फ बोर्डों को लगाई गई इसकी शर्त के ऊपर से है कि वक्फ राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए ऑडिटों के पैनल में से किसी ऑडिटर

हर साल अपने खातों का ऑडिट कराएंगे  
उपयुक्त खाते नहीं रखने पर मुतवल्लियों पर  
जुमार्ने भी लगाए जा सकेंगे।

केंद्रीयकरण के ऐसे ही एक और कदम में, वक्फ ट्रिब्यूनलों को अब तीन सदस्यीय निकाय के बजाय, सिफ दो सदस्यीय निकाय बना दिया जाएगा। इसके ऊपर से अब ट्रिब्यूनल में एक जिला जज होगा और दूसरा सदस्य, राज्य सरकार में ज्वाइंटरी सेक्रेटरी की रैंक का अधिकारी होगा। इसके बावजूद, अब वक्फ ट्रिब्यूनलों के निर्णयों की अंतिमता खत्म हो जाएगी और कोई भी पैडिट पक्ष, इन निर्णयों के खिलाफ संघेदी हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। विवादित संपत्तियों के कलेक्टर के अंतिम रिपोर्ट न देने तक वक्फ न माने जाने के साथ जुड़कर, ट्रिब्यूनल के निर्णय की अंतिमता खत्म करने की व्यवस्था, वक्फ की व्यवस्था को ही अस्थिर करने का काम करेगी। इससे भी ज्यादा समस्यापूर्ण यह है कि अब वक्फ की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। अब संपत्ति का कोई कानूनी मालिक ही, औपचारिक डीड के जरिए संपत्ति वक्फ कर सकेगा, वह भी तब जबकि वह 'कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो'। महत्वपूर्ण है कि इन संशोधनों के जरिए 'उपयोग के जरिए वक्फ' के विचार को खत्म ही कर दिया गया, जो इसकी इजाजत देता था कि इस रूप में उपयोग होता आ रहा होने के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ मान लिया जाए, भले ही उसकी मूल डॉक्यूमेंट विवादित हो। परंपरागत रूप से अक्सर वक्फ की जाने वाली संपत्तियां मौखिक रूप से ही इसके लिए समर्पित की जाती थीं और औपचारिक दस्तावेजीकरण काफी बाद में ही आया है। दूसरी ओर, वक्फ संपत्ति और सरकारी संपत्ति के दावों में किसी टकराव की सूरत में संपत्ति पर सरकार का दावा ही माना जाएगा—'कोई सरकारी संपत्ति, इसका कानून के बनने से पहले या बाद में, अगर एक वक्फ संपत्ति के रूप में शिनाख्त की जाती है या वक्फ संपत्ति घोषित की जाती है, तो उसे वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा।' जाहिर है कि यह सब वक्फ की पूरी की पूरी व्यवस्था को अस्थिर करने की काम कर सकता है।

# विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के हनन का सवाल

विचाराधीन

न्यायिक प्रणाली की विफलताओं की एक कठोर याद दिलाती है। प्रणाली की अक्षमता न केवल व्यक्तियों को निषेध और समय पर सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित करती है, बल्कि वंचितता के एक चक्र को भी बनाये रखती है जो असमान रूप से गरिबों और हाशिए पर पड़े लोगों को प्रभावित करती है। वित्तीय बाधाओं के



व्यापक निहिताथ महत्वपूर्ण हैं। वह  
प्रणालीगत बदलाव की  
आवश्यकता की ओर इशारा करते  
हैं, जिसमें न केवल प्रक्रियागत देरी  
बल्कि अंतर्निहित अक्षमताएं भी  
शामिल हैं जो प्रणाली को प्रभावित  
करती हैं।

न्यायपालिका की भूमिका केवल निर्णय देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय निषेधक और शीघ्रता से दिया जाये। जब प्रणालीगत मुद्दे इस भूमिका को कमज़ोर करते हैं, तो वह न्यायिक परिक्षा में जनता के विश्वास और

भरोसे को खत्म कर देता है न्यायपालिका को एक ऐसी संस्था बनने का प्रयास करना चाहिए जो सभी के लिए न्याय के सिद्धांतों को कायम रखे, न कि केवल एक निकाय जो अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक ढांचे के द्वारे में काम

करता है। ध्यान इस ओर केंद्रित होना चाहिए कि प्रणाली को सभी व्यक्तियों की जरूरतों के लिए अधिक सुलभ, कुशल और उत्तरदायी बनाया जाय, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।  
निस्सदैन, न्यायिक प्रणाली के समाने अनेक बाली चुनौतियाँ जटिल हैं और बहुआयी हैं। उन्हें तकालीकीय तिर्यकों से ऐसे तो बिचारी की

चित्ताजी, जस के विचारावान  
कैदियों की दुर्दशा, और  
दीर्घकालिक संरचनात्मक मुद्दों  
दोनों को संबोधित करने के लिए  
एक ठोस प्रयास की आवश्यकता  
है। न्यायिक प्रक्रिया को  
सुव्यवस्थित करने, न्यायाधीशों  
और न्यायालय कर्मियों की संख्या  
बढ़ाने और प्रक्रियात्मक दक्षता  
बढ़ाने के प्रयास इस दिशा में  
महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके  
अतिरिक्त, देरी और अक्षमताओं के  
मूल कारणों, जैसे पुरानी प्रक्रियाएँ  
और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, को  
संबोधित करना अधिक प्रभावी  
न्यायिक पुणाली बनाने में



